डा० कर्ण सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। हम बेज बोर्ड की सिफारिशों से किसी को कम नहीं दे रहे हैं और 86 में से 55 ऐसे है जिन को हम अधिक दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बताएं कि यह हड़ताल कैसे टलेगी ? सदन इसके बारे में चिन्तित है। हम लोग सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन रास्ता निकालना तो आपका काम है।

डा० कर्ण सिंह : रास्ता यही है कि किस प्रकार की स्थिति वहां पैदा हुई है और जो स्ट्राइक की है, उसको एक दम समाप्त कर दें। प्रश्न एडजुडिकेशन में गया है। उसका निर्णय हो जाने दें।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आप इसको पार्लियामेंटरी कमेटी को सौंपिये।

SHRI UMANATH : If you put in a condition like that, it will not be settled. Let us not stand on prestige ; let us have some sort of a settlement.

12.41 hrs

RE : ARREST OF MEMBERS

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सदन की प्रक्रिया के अन्तर्गत जो नियम हैं उनकी धारा 222 के मुताबिक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा और गरिमा तोड़ी गई है। राज्य सभा के एक मेम्बर श्री राज नारायण को लखनऊ स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। वारेंट में लिखा गया कि वह लोक-सभा के मेम्बर हैं...

अध्यक्ष महोदय : खुदा बख्शे। लोक सभा के मेम्बर बता दिया उनको।

श्री जनेश्वर मिश्र : उस में लिखा है कि वे लोक-सभा के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह पढ़ कर मुझे बड़ी तशवीश हुई है। कहीं वह इधर ही न आ जाएं।

श्री जनेश्वर मिश्र : वारेंट में लिखा गया है कि वह लोक-सभा के मेम्बर हैं। खतरा यह है कि कल को किसी गैर मेम्बर को अगर कहीं पुलिस वालों ने यह कह किया कि वह लोक सभा के मेम्बर हैं तो इस सदन की मर्यादा रहेगी या नहीं रहेगी। अगर पुलिस मदांध हो जाए और अपनी ताकत प्रदर्शन करने के लिए किसी मुख्य मन्त्री के बहकावे में आ कर ऊट पटांग वारेंट निकालने लगे तो हमें भी डर है कि हम अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हम को भी लोक-सभा की जगह परलोक सभा का मेम्बर लिख दिया जाए तो क्या आप हम को बचा पाएंगे ? जबकि यू०पी० का कोई स्पीकर नहीं है, कोई भी संसद् सदस्य अगर उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगा तो उसको धारा 107 और 117 में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या इस तरह से ऊटपटांग वारेंट जारी होंगे ? मैं दरख्वास्त करूंगा और प्रस्ताव करूंगा कि वे पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट जिन्होंने गलत वारन्ट काटा और लोक-सभा को अपमानित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के खिलाफ इस सदन की मानहानि का कोई केस चलाया जाए और उनको यहां बुलाया जाए हाजिर किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस विषय पर अपनी रूलिंग दें।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I want to know what decision you have taken about the privilege motion regarding the arrest of Shri Dange ..(*Interruption*)

MR. SPEAKER : There is no question of privilege. The remedy is available from the court.

SHRI S. M. BANERJEE : When I gave notice of it you said that you had already sent it to the Home Minister.

MR. SPEAKER : I read it in the papers that the case has gone to the court.

SHRI S. M. BANERJEE : I never wanted to discuss the point of law ; I wanted to know about the point of procedure.

MR. SPEAKER : The Home Minister will let me know the whole position.

SHRI S. M. BANERJEE : It was a privilege motion. It is not his concern.

MR. SPEAKER : I will not give any decision on it till I hear about the whole position.

SHRI S. M. BANERJEE : Should I take it that it is pending with you ?

SHRI JANESHWAR MISRA *rose* –

MR. SPEAKER : I will consider your motion.

SHRI S. M. BANERJEE : What about the privilege motion regarding Shri Dange ? Will you consider it ?

MR. SPEAKER : Yes, I will consider it and will give a ruling. I have read that it is before the court. But I have to ask the Home Minister to let me know the whole position.

14.45 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report of Indian Institute of Management, Ahmedabad

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN) : Sir, on behalf of Dr. V. K. R. V. Rao,

I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Institute of Management, Ahmedabad, for the year 1969-70 together with a statement regarding not laying the Hindi version of the Report. [*Placed in Library. See* No. LT—4019/70]

FINANCIAL COMMITTEES, 1969-70— A REVIEW

SECRETARY : I beg to lay on the Table a copy of the "Financial Committee, 1969-70 (A Review)."

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 18th August, 1970, agreed without any amendment to the Indian Post Office (Amendment) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th July, 1970."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 19th August, 1970, agreed without any amendment to the Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 1970."

14.47 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing Tuesday, the 25th August, 1970, will consist of :—

(1) Further discussion on the Revised Budget for West Bengal for 1970-71.